



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 आश्विन 1942 (श10)
(सं0 पटना 672) पटना वृहस्पतिवार 1 अक्तूबर 2020

सं० वि०(27)-पे०को०-78/2005-607

वित्त विभाग

संकल्प

1 अक्तूबर 2020

विषय:- लोक सभा/विधान सभा आम/उप चुनाव के दौरान निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों को देय अनुग्रह अनुदान के संबंध में ।

राज्य सरकार द्वारा निर्वाचन कार्य में लगाये गये सरकारी/गैर-सरकारी कर्मियों की हिंसात्मक घटनाओं या दुर्घटना या अन्य कारणों से निर्वाचन कर्तव्य के दौरान मृत्यु या अपंगता होने की स्थिति में अनुग्रह अनुदान दिये जाने का प्रावधान किया गया है ।

वित्त विभागीय संकल्प सं०-2796 दिनांक 01.04.2009 के कंडिका-3 में सक्षम पदाधिकारी द्वारा लोक सभा/विधान सभा निर्वाचन से संबंधित कार्य पर लगाये गये सभी व्यक्ति, जैसे कि कोई पदाधिकारी, पीठासीन पदाधिकारी, मतदान पदाधिकारी, दंडाधिकारी, चौकीदार, ग्राम रक्षा दल के सदस्य, चालक (चुनाव के लिए अधिगृहित वाहनों के निजी चालक/मोटर वाहन अधिनियम अंतर्गत अधिकृत व्यक्ति), पुलिस पदाधिकारी, आरक्षी कर्मी, गृह रक्षक, केन्द्रीय सुरक्षा बलों के सदस्य को निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मी माना गया है ।

वित्त विभागीय संकल्प सं०-558 दिनांक 06.06.2019 की कंडिका-3(a)(iii) के अनुसार उग्रवादी या असामाजिक तत्वों की हिंसात्मक कार्रवाईयों यथा रोड माइन्स, बम विस्फोट, शस्त्र आक्रमण आदि में मृत्यु होने पर 30 लाख रुपये देय होगा ।

(2) भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के पत्र सं०-218/6/2020/EPs दिनांक 22.07.2020 के अनुसार The BEL/ECIL engineers who are engaged in FLC, EVM commissioning, Poll Day and counting Day duty will be treated as polling personnel under Para 2(a) of the commission's letter no. 218/6/2019-EPs, dated 10.04.2019 and the payment of ex-gratia compensation will be applicable mutatis mutandis to these BEL/ECIL engineers.

The period of First Level Checking(FLC) duty and the duration for which the official is deputed for poll/counting arrangement, will be treated as period of election duty.

भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के पत्र सं0-218/6/2020/EPS दिनांक-14.09.2020 के अनुसार
The polling staffs deployed during all process of EVM/VVPAT preparation will be treated as polling personnel under Para 2(a) of the commission's letter no. 218/6/2019-EPS, dated 10.04.2019 and the payment of ex-gratia compensation will be applicable mutatis mutandis to these polling personnel.

भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के पत्र सं0-218/6/2020/EPS दिनांक 22.07.2020 के अनुसार If the death is unfortunately caused due to any violent acts of extremist or unsocial element like, road mines, bomb blasts, armed attacks etc. on Death due to COVID-19, the amount of Compensation would be Rs. 30 Lakhs.

3. उपर्युक्त कंडिका-2 में अंकित भारत निर्वाचन आयोग के पत्र के क्रम में राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि-

- (i) निर्वाचन प्रक्रिया के क्रम में प्रतिनियुक्त EVM/VVPAT से संबंधित सभी इंजिनियर/कर्मियों को निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों माने जायेंगे।
- (ii) निर्वाचन कर्तव्य हेतु प्रतिनियुक्त कर्मियों की COVID-19 के कारण मृत्यु होने की स्थिति में उन्हें 30 लाख रुपये अनुग्रह अनुदान के रूप में देय होगा।
- (iii) वित्त विभागीय संकल्प सं0-2796 दिनांक 01.04.2009 एवं संकल्प सं0-558 दिनांक 06.06.2019 के प्रावधान इस संशोधन के साथ प्रभावी रहेंगे।

4. उपर्युक्त प्रावधान विधान सभा आम चुनाव 2020 से प्रभावी होगा।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राहुल सिंह,
सचिव (व्यय)।

**अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 672-571+10-डी0टी0पी0
Website: <http://egazette.bih.nic.in>**